



दिनांक 29.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति 498 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई द्वारा की गयी टैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 29.09.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई** द्वारा शारिक अहमद निवासी 168 सेक्टर-ए शान्तीपुरम गद्दोपुर थाना फाफामऊ प्रयागराज से बड़े हुए गृहकर को सही कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय जोन-7 फाफामऊ से **राजस्व निरीक्षक श्रीमती राधा देवी (क्षेत्र फाफामऊ प्रयागराज)** पत्नी अंशुल कुमार निवासी विलेघ पुरेला थाना मानधाता जनपद प्रतापगढ़, हालपता गोविन्दपुर थाना शिवकुटी प्रयागराज को **20 हजार रुपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।



दिनांक 29.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति 499 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना तहबरपुर

- पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 15 हजार 250 रुपये नगद
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 28/29.09.2026 की रात्रि थाना तहबरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करियाबर गांव के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—दिलशाद 2—सोनू उर्फ असगर घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 हजार 250 रुपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दिलशाद के विरुद्ध जनपद अलीगढ़, आजमगढ़ के विभिन्न थानों में चोरी आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त सोनू उर्फ असगर के विरुद्ध जनपद आजमगढ़, अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों में चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना तहबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तहबरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिलशाद निवासी नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

2—सोनू उर्फ असगर निवासी बजेड़ा भगवानपुर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 15 हजार 250 रुपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जैतपुर

● 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.09.2026 को थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त ओमकार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जैतपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जैतपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ओमकार निवासी ग्राम मुस्कुराई थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

➤ जनपद बुलन्दशहर/थाना जहाँगीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख 99 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना जहाँगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/368/376(3) भादवि व 5(1) एवं 5(2) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम-2021 के अन्तर्गत अभियुक्त जैद को आजीवन कारावास व 02 लाख 99 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद कुशीनगर/थाना अहिरौली बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना अहिरौली बाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/309 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुनीब साहनी को सश्रम आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बरेली/थाना भोजीपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बरेली द्वारा थाना भोजीपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त फारूख को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10/07 वर्ष के कारावास की सजा व 09—09 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—अशफाक एवं 2—अभियुक्ता को क्रमशः 10 वर्ष एवं 07 वर्ष के कारावास व 09—09 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद एटा/थाना पिलुआ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना पिलुआ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 392/411 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरिसिंह उर्फ हरिया को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 395/397/412 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुल्तान को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद गोण्डा/थाना मनकापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त डाक्टर उर्फ रंगा उर्फ प्रदीप उर्फ विनय को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
